



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No 3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

संयुक्त कुलसचिव/ कार्यकारी कुलसचिव

Joint Registrar/Acting Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

फैक्स / Fax : + 91-7152-230903

क्रमांक : स्था. 4322 / 2015 / म.गां.अं.हिं.वि.
दिनांक : 09 / 02 / 2015

कार्यालयादेश

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की बैठक दिनांक 29.10.2014 में मद संख्या 2 में लिए गए निर्णयानुसार 'किसी भी शैक्षणिक कर्मी द्वारा CAS (Career Advancement Scheme) के अंतर्गत आवेदन-पत्र को सर्वथा पूर्ण कर सर्वप्रथम विभाग में जमा करना होगा। तदुपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष, विभाग के दो अन्य सदस्यों (जो आवेदक न हों) को सम्मिलित करते हुए एक समिति के गठन का प्रस्ताव बनाकर संकायाध्यक्ष के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे।

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत गठित समिति शैक्षणिक कर्मी के CAS के अंतर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के आलोक में विचार कर रिपोर्ट देगी। CAS (Career Advancement Scheme) के आवेदन पर विभागाध्यक्ष 'संस्तुति सहित अग्रेषित' टिप्पणी के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु एक प्रति आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) तथा एक प्रति स्थापना एवं प्रशासन विभाग को प्रेषित करेंगे।

कादर नवाज़ 06/02/15
(कादर नवाज़ ख़ान)

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा-442005
2. प्रतिकुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा-442005
3. समन्वयक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
4. अकादमिक संयोजक, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा-442005
5. क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता/इलाहाबाद
6. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा-442005
7. लीला विभाग, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित पत्रावली/गार्ड फाईल